
REGIONAL OFFICE





RPCB/RO KSG/PUB-258/ 4169

Date: 24-02-2023

Sh. Mukesh Kumar Jindal S/o Sh. Mahesh Chand Jindal,

R/o 25, Sadar Bazar, Nasirabad,

Dist Ajmer.

Sub.:- Public hearing for Environmental Clearance for Granite cluster mining project, Total Cluster Area 5.7921 Hectare, Total cluster production capacity 795782 TPA (ROM), Village Morajhadi Tehsil Nasirabad, District Ajmer applied by Sh. Mukesh Kumar Jindal S/o Sh. Mahesh Chand Jindal, M.L. no. 112/2021.

Ref.:- Office of District Collector& District Magistrate, Ajmer letter no. 2501 dated 24/02/2023.

Sir,

In reference to above please find enclosed a public notice to be published in one major National Daily news paper and one Regional vernacular Daily/official state language news paper in any case on or before 28/02/2023. The news paper cutting are to be submitted to this office for further necessary action to conduct public hearing at Rajeev Gandhi Seva Kendra, Samproda, Tehsil Nasirabad, District Ajmer at 11:00 AM on 31/03/2023 for the environmental clearance of your project.

You are also requested to make available copies of EIA/EMP report and executive summary report in Hindi and English (with soft copies also) at various offices as mentioned in the public notice.

Yours sincerely,

sdi

(Deepak Tanwar) Environmental Engineer &Regional Officer

Copy to following for information & necessary action:-

The Member Secretary (SEAC), Rajasthan State Pollution Control Board, 4, Instituional Area, Jhalana Doongri, Jaipur.

The Additional District Collector & Magistrate, Collectorate Office, Ajmer in compliance to letter no. 2501 dated 24/02/2023.

Analyst Cum Programmer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jhalana Doongari, Jaipur to display public notice on website of the State Board.



क्षेत्रीय कार्यालय



राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एसपीएल-2,पंचम चरण, रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)

राप्रनिम/क्षैका किश/पीयूबी-258/

दिनांक :

पर्यावरणीय रवीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री मुकेश कुमार जिंदल पुत्र श्री महेश चन्द जिंदल खनन पट्टा संख्या 112/2021 ग्राम मोराझड़ी द्वारा ग्रेनाईट खनिज क्लस्टर खनन परियोजना जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:--

_	The state of the s	91101 4(16)	जान गर्या	जिला जिस्स्य	ापरपूरा ।प	परेण गिम्म प्रकार स ह:-
क्र.	प्रोजेक्ट का नाम	खनन	क्षेत्रफल	ग्राम	खनिज	उत्पादन क्षमता
स.		पटट्ा / प्लॉट	हैक्टेयर में		का नाम	टीपीए (आर.ओ.एम.)
		संख्या				,
1	श्री मुकेश कुमार जिंदल पुत्र श्री महेश	112/2021	1.4841	मोराझड़ी	ग्रेनाईट	183678
	चन्द जिंदल, खसरा संख्या 1347				,	
2	श्री राघव छापरवाल	106/2021	1.44	मोराझड़ी	ग्रेनाईट	200000
3	श्री पारसमल डाबरिया	107/2021	1.3680	मोराझड़ी '	ग्रेनाईट	212100
4	श्री नरेश अग्रवाल	108/2021	1.50	मोराझड़ी	ग्रेनाईट	200004

कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 5.7921 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता—795782 टीपीए (आर.ओ.एम.), ग्राम मोराझड़ी, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर से संबन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

- 2. और चूंकि श्री मुकेश कुमार जिंदल पुत्र श्री महेश चन्द जिंदल खनन पट्टा संख्या 112/2021 ग्राम मोराझड़ी ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09. 2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के अनुसार समूह लोक सुनवाई हेतु आवश्यक है।
- 3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:—
 - 1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर।
 - 2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
 - 3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, राजस्थान, ०४, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
 - 4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला–अजमेर।
 - तहसील—नसीराबाद, जिला—अजमेर।
 - 6. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, साम्प्रोदा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र क्रमांक कअ/सामान्य/2023/2501 दिनांक 24.02.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समृह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृतिं से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 31/03/2023 को प्रातः 11:00 बजे, स्थान—राजीव गांधी सेवा केन्द्र, साम्प्रोदा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला—अजमेर को भी दिये जा सकते है।

> (दापक तवर) पर्यावरणीय अभियंता एवं क्षेत्रीय अधिकारी